दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 5987/2008

निर्णय तिथि : 12.09.2008

संदीप श्योराण ..... याचिकाकर्ता

के द्वारा: श्री एस. एम. दलाल, अधिवक्ता

बनाम

कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

के द्वारा: श्री अनुराग माथुर और श्री अतुलेश कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?

2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हां

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हां।

<u>न्या. विपिन सांघी (मौखिक)</u>

1. याचिकाकर्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2008 में अर्हता प्राप्त की। उसने युद्ध में विकलांग हुए रक्षाकर्मी के वार्ड के रूप में अपना आवेदन किया था। इस श्रेणी को कुल सीटों के 5% तक आरक्षण प्राप्त था। उक्त आरक्षित श्रेणी के भीतर, चार अलग-अलग प्राथमिकताएँ बताई गई थीं, जो इस प्रकार हैं: -

> "प्राथमिकता I - युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ/वार्ड।
>
> प्राथमिकता II - युद्ध के दौरान विकलांग हुए सेवारत कार्मिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चे।
>
> प्राथमिकता III - रक्षा कार्मिकों की विधवाएँ/आश्रित जिनकी मृत्यु शांति काल में सैन्य सेवा के कारण हुई हो।
>
> **प्राथमिकता IV- सैन्य सेवा के कारण शांति के समय में विकलांग रक्षा कर्मियों के वार्ड।" (जोर दिया गया)।**

2. याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के पिता एक सैन्यकर्मी थे, जिन्हें विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया था। उनके पिता को विकलांगता पेंशन भी मिलती थी। उन्हें आर्टिलरी रिकॉर्ड्स, नासिक रोड कैंप से कमान ऑफिसर के लिए सहायक सीजीओ, रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा दिनांक 02.06.1986 को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त प्रमाण पत्र ने प्रमाणित किया कि याचिकाकर्ता के पिता "पूर्व जनरल महताब सिंह को

ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण दिनांक 31 मार्च 84 से सेवा से बाहर कर दिया गया था"। इसमें आगे कहा गया है कि "उनकी विकलांगता को दिनांक 31.03.1984 से दिनांक 22.01.1986 तक 20% सैन्य सेवा के कारण/बढ़ी हुई माना गया है।"

3. प्रत्यर्थीगण ने उक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि प्रमाण-पत्र में यह नहीं लिखा था कि विकलांगता ***सैन्य सेवा के कारण हुई है,*** क्योंकि इसमें यह भी लिखा था कि ***विकलांगता सैन्य सेवा के कारण और बढ़ गई है।*** ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 21.07.2008 को याचिकाकर्ता के पिता के विकलांगता प्रमाण-पत्र के संबंध में राय प्राप्त की थी। उक्त प्रमाण-पत्र के संबंध में यह राय दी गई थी कि:-

> "सीईई-2008 के लिए सूचना बुलेटिन के अनुसार केंद्रीय सैनिक बोर्ड के लेफ्टिनेंट कर्नल एम.बी. पटेल ने ***"सैन्य सेवा के कारण गंभीर"*** कथन वाले प्रमाण पत्र को अमान्य माना है। विचाराधीन प्रमाण पत्र में "सैन्य सेवा के कारण गंभीर" दोनों शब्द हैं। तदनुसार लेफ्टिनेंट कर्नल एम.बी. पटेल ने सुझाव दिया कि प्रमाण पत्र को "सैन्य सेवा के कारण गंभीर" के लिए सत्यापित किया जाए। उम्मीदवार को लेफ्टिनेंट कर्नल एम.बी. पटेल के निष्कर्ष से अवगत कराया गया, फिर उम्मीदवार ने बीई प्रवेश समिति-2008 के अध्यक्ष से प्रमाण पत्र सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया (पत्र की प्रति संलग्न है)।"

4. याचिकाकर्ता को एक नया प्रमाण पत्र प्राप्त करना था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विकलांगता सैन्य सेवा के कारण थी। वह वापस लौटा और ऐसा करने में अपनी असमर्थता बताई। इस आधार पर याचिकाकर्ता को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। नतीजतन, उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है।

5. रिट याचिका के जवाब में प्रत्यर्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना जवाबी शपथपत्र दाखिल किया है। प्रत्यर्थी ने मुख्य रूप से वही रुख दोहराया है जो बी.ई. एडमिशन 2008 के चेयरमैन के दिनांक 21.07.2008 के नोट में पाया जाता है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि सैन्य कर्मियों के बच्चों को आरक्षण देना एक लाभकारी प्रावधान है और इसे यथार्थवादी और उदार तरीके से समझा जाना चाहिए। पात्र उम्मीदवारों को बाहर करने के उद्देश्य से इसे संकीर्ण और सख्त अर्थ नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका मामला ऊपर उल्लिखित प्राथमिकता IV के अंतर्गत आता है और उसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बी.ई. कोर्स में प्रवेश दिया जाना चाहिए था।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थी ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली से लेफ्टिनेंट कर्नल एम.बी. पटेल को यह राय देने के लिए

शामिल करके सद्भावनापूर्ण कार्य किया कि क्या याचिकाकर्ता के मामले को पूर्वोक्त अनुसार प्राथमिकता IV के अंतर्गत माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं था, और यह संदेह के दायरे में छोड़ दिया गया कि क्या याचिकाकर्ता के पिता की विकलांगता उनकी सैन्य सेवा के कारण थी या यह केवल सैन्य सेवा के कारण बढ़ गई थी। श्री माथुर ने तर्क के समय एक और पहलू उठाया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रॉस्पेक्टस के खंड 3.6 (ग) में निहित निर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी एक से नहीं है।

8. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, मैं इस याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूं। जहां तक विकलांगता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न किए जाने के संबंध में आपत्ति का सवाल है, यह याचिकाकर्ता के पिता के विकलांगता प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को प्रवेश से वंचित करने का कारण प्रतीत नहीं होता है। बी.ई. प्रवेश समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी दिनांक 21.07.2008 के अनुलग्नक पी-3 में ऐसा कोई कारण नहीं पाया गया है। यह जवाबी शपथ पत्र में यह आधार भी नहीं लिया गया है। इसके अलावा, मेरे विचार में, विकलांगता प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इसे कमांडिंग ऑफिसर की ओर से रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है। खंड 3.6 (ग) के अनुसार प्रमाण पत्र या तो सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली या सचिव, राज्य/जिला सैनिक

बोर्ड या प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा जारी किया जा सकता है। संबंधित प्रमाण पत्र रिकॉर्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और कमांडिंग ऑफिसर की ओर से हस्ताक्षरित है। इसलिए, मेरे विचार में, यह उक्त आवश्यकता को पूरा करता है।

9. विचाराधीन प्रमाणपत्र में कहा गया है कि विकलांगता को सैन्य सेवा के कारण/बढ़ने के रूप में स्वीकार किया गया है। याचिकाकर्ता के पिता के संबंध में विकलांगता ब्रोन्कियल अस्थमा थी। केवल इसलिए कि प्रमाण-पत्र में "सैन्य सेवा के कारण/बढ़ी हुई" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रमाण-पत्र केवल सैन्य सेवा के दौरान विकलांगता के बढ़ने से संबंधित है। सैन्य सेवा द्वारा विकलांगता के बढ़ने का मामला वह होगा, जहां सैन्य सेवा में प्रवेश के समय व्यक्ति को किसी विशेष विकलांगता से पीड़ित होने के बारे में पता हो, जो सैन्य सेवा के कारण बढ़ जाती है। यह प्रत्यर्थीगण का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता के पिता की विकलांगता तब मौजूद थी जब वे सैन्य सेवा में शामिल हुए थे। यह सर्वविदित है कि सैन्य सेवा अक्सर कठिन जलवायु और अन्य परिस्थितियों में की जाती है, और ब्रोन्कियल अस्थमा एक बीमारी है, जो प्रतिकूल या चरम जलवायु और अन्य परिस्थितियों में पैदा हो सकती है। यह रोग जीवन के बाद के चरण में भी विकसित हो सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि यह रोग व्यक्ति में पैदाइश ही हो। इसलिए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पिता को जो

ब्रोन्कियल अस्थमा हुआ था, वह उन्हें तब भी हुआ था जब वे सैन्य सेवा में शामिल हुए थे और यह सैन्य सेवा के कारण नहीं था। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पिता को सैन्य सेवा के दौरान केवल पहले से मौजूद अस्थमा की समस्या बढ़ गई थी। यह सर्वविदित है कि सैन्य सेवा में प्रवेश से पहले ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए कठोर चिकित्सा जांच की जाती है जो विकलांगता से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए, यह असंभव लगता है कि याचिकाकर्ता के पिता जब सैन्य सेवा में शामिल हुए थे, तब वे ब्रोन्कियल अस्थमा से पीड़ित रहे होंगे। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त विकलांगता प्रमाण पत्र की एक अन्य संभावित व्याख्या यह है कि याचिकाकर्ता के पिता को ब्रोन्कियल अस्थमा की बीमारी थी, जो सैन्य सेवा के कारण हुई थी और बढ़ गई थी। व्यवहार में "/" का प्रयोग कभी-कभी 'या' के लिए और कभी-कभी "और" के लिए किया जाता है। मेरे विचार में याचिकाकर्ता के इस कथन में कुछ दम है। किसी भी स्थिति में, यदि इस तथ्य के बारे में कोई संदेह है, तो इस संदेह का लाभ याचिकाकर्ता को मिलना चाहिए, न कि उसके खिलाफ होना चाहिए। प्रत्यर्थीगण के पास यह निष्कर्ष निकालने का कोई वैध आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता के पिता की विकलांगता केवल सैन्य सेवा के कारण बढ़ गई थी। वे प्रमाण पत्र के उस हिस्से को अनदेखा नहीं कर सकते जो याचिकाकर्ता को आरक्षण के लिए पात्र बनाता है और उस हिस्से को पकड़ कर रखते हैं जो उसे आरक्षण के अनुदान से वंचित कर सकता है। मेरा यह भी मानना है कि सैन्य कर्मियों के बच्चों को

आरक्षण देना एक लाभकारी प्रावधान है और इसका उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि इसका लाभ उन सभी लोगों को मिल सके जो इसके हकदार हैं। इस आरक्षित वर्ग के भीतर प्राथमिकताएं बनाने का उद्देश्य भी सीमित आरक्षित सीटों के भीतर सैन्य कर्मियों के अधिक से अधिक बच्चों को प्राथमिकता के अनुसार आरक्षण के दायरे में लेना प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त कारणों से, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूँ और प्रत्यर्थी को निर्देश देता हूँ कि वह याचिकाकर्ता को युद्ध में विकलांग हुए रक्षा कर्मियों के बच्चों/आश्रितों को प्रदान किए गए 5% आरक्षण की प्राथमिकता IV के अंतर्गत मानते हुए योग्यता के अनुसार प्रवेश प्रदान करे।

याचिका का निपटान किया जाता है।

दस्ती।

विपिन सांघी
न्यायाधीश

12 सितंबर, 2008
आरएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*